

(12)



आदेश प्रति प्रकरण के संलग्न नहीं हैं।  
12-3-17



निगरानी नमूना भू.सं. 2017/3195

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प सागर

रुषा पाण्डे पति रामप्रसाद पाण्डे,  
निवासी शाहगढ़, तह0 शाहगढ़ जिला सागर म.प्र.  
.....पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

1. भगौनी उर्फ भवानी तनय कुटैया पटैल,
2. श्रीमती गुलाबराणी बेवा कुटैया पटैल
3. राजस्व निरीक्षक महोदय, राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहगढ़ तह0 शाहगढ़ जिला सागर म.प्र.

....अनावेदकगण

राज्य मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
सागर

29/1/17

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के तहत

उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय शाहगढ़ के प्रकरण क्रमांक 2/अ-12/2015-16 में पारित प्रतिवेदन आदेश दिनांक 29-12-15 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करते हैं:-

माननीय न्यायालय के आदेश दि. 26-12-17 के अनुसार खोजना किया

9

को जो कि माँ-बेटे हैं से

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / सागर / भू.रा. / 2017 / 3195

ऊषा पाण्डे विरुद्ध भगौनी उर्फ भवानी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार शाहगढ़, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 29-12-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>	